

:-आदेश:-

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्र सं०-07 बेदखली (विविध) 21/14 714(7)रा० अंश दिनांक 30.06.16 द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अन्तर्गत भूमि से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को विशेष रूप से शिविर आयोजित कर दखल दिलाने का निदेश प्राप्त हुआ था। जिसके आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 945/रा० दिनांक 27.7.16 के द्वारा शिविर का आयोजन करने हेतु तिथि एवं स्थान निर्धारित किया गया। परन्तु अंचल अधिकारी, नरहट अपने पत्रांक 399 दि० 27.8.16 के द्वारा शिविर के स्थान में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया है।

अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निदेशानुसार शिविर का स्थान निम्न प्रकार परिवर्तन की जाती है।

क्र० सं०	ग्राम-पंचायत का नाम	पूर्व से निर्धारित शिविर का स्थान	संशोधित शिविर का स्थान
1	नरहट, खनवाँ, कोनिवर, जमुआँरा एवं सैदापुर	प्राथमिक विद्यालय हाजीडाब	समुदायिक भवन कोनिवर
2	शेखपुरा, पुनौल, पुन्थर, पाली खूद एवं बभनौर	पंचायत भवन बभनौर	राजस्व कचहरी पुनौल

शेष आदेश यथावत रहेगा।

ह०/-

अपर समाहर्ता,
नवादा।

ज्ञापांक 1259/रा० दिनांक 22/09/16

प्रतिलिपि:-सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी थानाध्यक्ष, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:-भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवादा/रजौली सभी प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, नवादा जिला/अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा/रजौली को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर समाहर्ता,
नवादा।